प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता व उपलब्धता बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश कैबिनेट का महत्पवूर्ण कदम

- *9 विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के अनुबन्ध में विस्तार*
- *जल उपलब्धता के दृष्टिगत् 3 परियोजनाओं का स्थान परिवर्तन*

लखनऊः 7 जून, 2012

प्रदेश में विद्युत की मॉग एवं उसकी आपूर्ति के अन्तर से उत्पन्न गंभीर समस्या के निवारण हेतु मंत्री–परिषद द्वारा निजी विकासकर्ताओं की 9 तापीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुबन्ध के समय में अधिकतम 18 माह का विस्तार का अनुमोदन किया गया है। निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनुबंन्धित परियोजनाओं के समय में 6 माह से 24 माह की अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध पूर्व में किया गया था किन्तु राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 18 माह अथवा निजी विकासकर्ताओं द्वारा मांगी गयी समयावधि, जो भी पहले हो, हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त लम्बित विद्युत परियोजनाएं मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग के माध्यम से स्थापित किये जाने थे जिसके अन्तर्गत 'सिक्योरिटी धनराशि' को जब्त किये जाने का प्राविधान था यदि निजी विकासकर्ता द्वारा दी गयी समयावधि में परियोजना कार्य प्रारम्भ नही कर देते। यह समयावधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली थी।

मंत्रि–परिषद द्वारा तीन विद्युत परियोजनाएं जो बरगढ़, फर्रुखाबाद एवं गाजीपुर में स्थापित की जानी थीं उन्हें पानी की उपलब्धता के दृष्टिगत अब क्रमशः ललितपुर, बाराबंकी एवं मिर्जापुर में स्थापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा श्री अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में विद्युत उपलब्धता बढ़ाने हेतु सभी संभव स्रोतों का उपयोग कर पूरे प्रदेश में निर्बाध व सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे भारत वर्ष में कोयले की कमी एवं भारत सरकार के स्तर से कोल लिंकेज उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण परियोजना प्रारम्भ करने में विलम्ब के दृष्टिगत विकासकर्ताओं द्वारा परियोजनानुसार समयावधि बढ़ाये जाने हेतु किये गये अनुरोध पर अधिकतम् 18 माह का विस्तार किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पास निजी विकासकर्ताओं की जमा सिक्योरिटी धनराशि को जब्त करने का भी अधिकार होगा यदि बढ़ाये गये समय के अन्दर परियोजना प्रारम्भ नहीं होती।

नौ विद्युत परियोजनाएं जिनमें समयावधि का विस्तार किया गया हैः– (1) 1320 मेगावाट भोगिनीपुर–।, (2) 1320 मेगावाट भोगिनीपुर–।।, (3) 1980 मेगावाट ललितपुर, (4) 600 मेगावाट, मुर्का, (5) 1980 मेगावाट ललितपुर (पूर्व में बरगढ़), (6) 250 मेगावाट बाराबंकी (पूर्व में फर्रुखाबाद), (7) 250 मेगावाट औरैया, (8)1320 मेगावाट, सण्डीला एवं (9) 1320 मेगावाट मिर्जापुर (पूर्व में गाजीपुर)।

ज्ञात हो कि कट ऑफ डेट 5 जनवरी, 2011 के पूर्व के 10 विद्युत परियोजनाओं की कुल 10,790 मेगावाट हेतु मेमोरेण्डा आफ अण्डर स्टैण्डिंग पर हस्ताक्षर के पश्चात केवल एक 450 मेगावाट की कोयले पर आधारित चीनी मिल की स्थापना की गयी है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. पावर कारपोरेशन लि. श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया–इतने बड़े प्रदेश मे विद्युत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कराने की बहुत बड़ी चुनौती हैं जबकि वर्तमान में पूरे देश में विद्युत की कमी है। इसीलिये उत्तर प्रदेश में सभी 5 विकल्पों– राज्य क्षेत्र में, ज्वाइंट वेंचर, निजी क्षेत्र में केस–। एवं केस–।। कम्प्रेटिव बिंडिंग प्रॉसेस, से विद्युत परियोजनाओं का विकास और एम.ओ. यू. के माध्यम से विकासकर्ताओं को अतिरिक्त समय दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा सूचित किया गया कि शासन द्वारा 6000 मेगावॉट विद्युत केस–। बिडिंग प्रॉसेस के माध्यम से प्राप्त करने हेतु सहमति प्रदान कर दी गयी है, इस हेतु आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगी। इसी प्रकार 1320 मेगावॉट जवाहरपुर विद्युत परियोजना केस–।। बिडिंग के अन्तर्गत बिडिंग की कार्यवाही अतिशीघ्र प्रारम्भ हो जाएगी।